COURT FEE INDIA FIVE RUPEES

COURT FEE INDIA FIVE RUPEES

2844/10

क्रम संख्या व प्रा० पत्र देने का दिनांक	नकल सम्बन्धी नोटिस का दिनांक	नकल जारी करने का दिनांक	हस्ताक्षर
29 11-5-09	21-5-09	22-5-09	सहायक प्रतिलिपिक जिला न्यायालय शाहजहाँपुर 22-5

न्यायालय - अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 5,

शाहजहाँपुर ।

दाण्डिक पुनरीक्षण सं० 215/08

तुलाराम-चन्द्र v/s उ० प्र० सरकार

U/s 420, 149, 200 IPC

P/S- रामचन्द्र मिश्रान

और - आदेश निर्णय दिनांक 8.5.09 की हस्ता

प्रति सम्बन्ध है।

IN THE COURT OF THE SESSIONS JUDGE

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं05, शाहजहाँपुर
उपस्थित: डी0 कुमार .....एच0जे0एस0

दाण्डिक पुनरीक्षण सं0 215/08

श्री राम चन्द्र मिशन आश्रम शाहजहाँपुर द्वारा श्री अमरेश आश्रम इंचार्ज एवं कार्यकारिणी समिति सदस्य निवासी आर-23 सेक्टर11 नोएडा ।

.....वादी/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

उ0प्र0राज्य ..... प्रतिवादी/प्रत्यर्थी

निर्णय

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानीनिगरानीकर्ता अमरेश राम चन्द्र मिशन बजरिये अमरेश कुमार सदस्य कार्यकारिणी एवं आश्रम इंचार्ज की ओर से अवर न्यायालय द्वारा परिवाद सं0220/08 राम चन्द्र मिशन बनाम उमा शंकर बाजपेयी में पारित प्रश्नगत आदेश दि025.8.08 जिसके द्वारा विद्वान न्यायिक मैजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर ने पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी के परिवाद को धारा 203 द0प्र0सं0 के अंतर्गत निरस्त किया है के विरूद्ध योजित की गई है ।

निगरानी में आधार यह लिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश तथ्यों एवं विधि के विपरीत है तथा अवर न्यायालय ने विपक्षी के द्वारा किये गये मैलाफाइड कृत्य को नजरंदाज कर दिया । निगरानी में लिये गये आधारों में यह भी उद्धृत किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पक्षों के बीच जो मामला आश्रम से संबंधित है उस अपील में सुनवाई के उपरांत आदेश के लिये पत्रावली रिजर्व की जाने के बावजूद विपक्षी ने दि021.9.07 को दैनिक समाचारपत्र दैनिक जागरण के पेज 3 पर संस्था राम चन्द्र मिशन के संबंध में अवैध कब्जा किया तथा उमाशंकर बाजपेई ने समाचार पत्र में यह बयान प्रकाशित कराया कि -

"सुप्रीम कोर्ट द्वारा चारी को सर्वमान्य अध्यक्ष माने जाने के बाद शाहजहाँपुर आश्रम में सहज मार्ग साधना की गतिविधि तेज हुई और चारी जी का यहाँ आना 19 साल 8 माह बाद संभव हो सका ।"

निगरानीकर्ता के अनुसार यह बयान राम चन्द्र मिशन संस्था के अनुयायी व जनता को भ्रमित करने वाला है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई आदेश नहीं किया बल्कि आदेश के लिये पत्रावली

ह0 अप0

रिजर्व थी झूठा वक्तव्य समाचार पत्र में छपवाया। प्रेस ने भी बिना किसी पुष्टि के उस वक्तव्य को समाचारपत्र में प्रकाशित कराया । इन आधारों पर संबंधित प्रश्नगत आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना निगरानीकर्ता की ओर से की गई है ।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य सरकार की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया ।

मामले के तथ्यों के अनुसार निगरानीकर्ता/परिवादी ने एक परिवाद सं0220/2008 न्यायालय जे0एम0,शाहजहांपुर में राम चन्द्र मिशन बनाम उमा शंकर बाजपेई आदि याजित किया जिसमें विवादित तथ्य निम्न प्रकार हैं:-

यह कि संस्था राम चन्द्र मिशन की ~~xxxxxx~~ स्थापना श्री राम चन्द्र जी महाराज उर्फ बाबू जी महाराज ने 1945 में की थी । 1983 में बाबू जी महाराज के समाधि ले लेने (मृत्यु) पर उनके पुत्र उमेश चन्द्र सक्सेना को जनरल बाडी की मीटिंग में सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष नियुक्त किया गया जबकि उनका एक अन्य अभ्यासी पी0राजगोपालाचारी भी अध्यक्ष बनना चाहते थे और उन्होंने एक ~~xxxxxx~~ समानांतर संस्था बनाकर चेन्नई में अपनी गतिविधि चला रहे थे ।

3 नवम्बर 2003 को उमेश चन्द्र सक्सेना की भी मृत्यु हो जाने पर उनके पुत्र नवनीत कुमार सक्सेना अध्यक्ष बने । 7 नवम्बर 2003 को राज गोपालाचार्य और उनके करीब के अनुयायियों ने मिश्रीपुर ब्लाक हेड क्वार्टर,शाहजहांपुर में कब्जा करने की कोशिश की जिस संबंध में पुलिस ने कार्यवाही न करने पर एक परिवाद शाहजहांपुर न्यायालय में विचाराधीन है ।

जिलाधिकारी,शाहजहांपुर ने श्री राम चन्द्र जी महाराज की समाधि के पास राजगोपालाचारी ग्रुप के अनुयायियों के लिये 2 घंटे के लिये मेडीटेशन के लिये समय दे दिया जिसके कारण आश्रम में उनके द्वारा अवैध कब्जा का खतरा पैदा हुआ जिसके संबंध में सिविल जज, न्यायालय, शाहजहांपुर में दीवानी वाद दायर करके निषेधाज्ञा प्राप्त की । परिवादी की ओर से जिलाधिकारी,शाहजहांपुर को प्रार्थनापत्र भी दिया गया परन्तु खारिज कर दिया गया और राज गोपालाचारी के गुट के लोगों ने बिना किसी कोर्ट आदेश के दि0 2.4.06 को कब्जा कर लिया । परिवादी और अन्य लोगों के साथ मारपीट की । अध्यक्ष नवनीत कुमार सक्सेना को हटा दिया जिसके संबंध में कार्यवाही लम्बित है ।

[signature]

उदय

संस्था राम चन्द्र मिशन की ओर से अध्यक्ष नवनीत कुमार सक्सेना ने सिविल अपील सं06619/2000 सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में योजित की जो विचाराधीन है और बहस के उपरांत आदेश के लिये लम्बित थी । इसी दौरान दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के दिनांक 21.9.07 को पेज 3 पर विपक्षी उमाशंकर बाजपेई की ओर से अवैध कब्जा करके समाचार पत्र में यह बयान उद्धृत किया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा चारी जी को सर्वमान्य अध्यक्ष माने के बाद शाहजहाँपुर आश्रम में सहज मार्ग साधना की गतिविधियाँ तेज हुई और चारी जी का 19 साल 8 माह बाद आगमन संभव हो सका । निगरानीकर्ता के अनुसार यह बयान बिल्कुल असत्य, झूठा है। पी0 राजगोपाला चारी विपक्षी को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं हुआ बल्कि पत्रावली आदेश में लम्बित थी । इन आधारों पर झूठी घोषणा करने और प्रकाशन करने के संबंध में विपक्षीगण को सम्मन करने के लिये परिवाद दायर किया गया ।

जिसमें अवर न्यायालय के समक्ष परिवादी संस्था की ओर से अमरेशकुमार ने अपना बयान अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 और साक्षी राम मोहन श्रीवास्तव और कौशल किशोर ने अपने बयान अंतर्गत धारा 202, दं0 प्र0सं0 अंकित कराये ।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनकर दिनांक 25.8.08 को परिवाद इस आधार पर निरस्त किया कि परिवादी इस तथ्य को विपक्षीगण द्वारा दैनिक समाचार में छपी खबर को मिथ्या जानते हुये और यह जानते हुये कि उसका प्रयोग भ्रष्टता पूर्वक किया जायेगा साबित करनेमें असफल रहा है और यह भी आधार लिया गया है कि अखबार के माध्यम से कीगई सूचना को साक्ष्य के माध्यम से न्यायालय या लोक सेवक आबध या प्राधिकृत नहीं है । इन आधारों पर परिवाद को धारा 203 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत निरस्त किया गया है। प्रस्तुत निगरानी परिवादी/निगरानीकर्ता कीओर से योजित की गई है।

निगरानीकर्ता/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपने तर्क में कहा है कि दैनिक समाचार पत्र में की गई सूचना साक्ष्य में ग्राह्य दस्तावेज हैऔर यह भी तर्क दिया है कि विपक्षीगण ने यह जानते हुए कि वह झूठी असत्य घोषणा कर रहे हैं वक्तव्यको अखबार में छपवाया था। धारा 199 भा0दं0सं0 ऐसी घोषणा जो कि साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जासके का कहा गया मिथ्या कथन दण्डनीय बनाया गया है । धारा 199 भा0दं0सं0 के अनुसार जो कोई अपने द्वारा की गई या हस्ताक्षरित किसी घोषणा में जिसको किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में

लेने के लिये कोई न्यायालय या कोई लोक सेवक या अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध या प्राधिकृत हो, कोई ऐसा कथन करेगा जो किसी ऐसी बात के संबंध में, जो उस उद्देश्य के लिए तात्विक हो जिसके लिये वह घोषणा की जाय या उपयोग में लायी जाये, मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह उसी प्रकार दण्डित किया जायेगा, मानों उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो।

इस प्रकार धारा 199 भा0दं0सं0 में अपराध के मुख्य तथ्य निम्न प्रकार हैः-

1. अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत घोषणा की गई या हस्ताक्षरित की गई।

2. इस प्रकार की घोषणा तथ्य के साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा प्राप्त करने योग्य हो।

3. दिये गये घोषणा में उस के द्वारा बयान दिया गया हो।

4. दिया गया बयान झूठा हो।

5. ऐसा बयान किसी भौतिक बिन्दु पर हो।

6. जिसे अभियुक्त जानता था जो वह घोषणा दे रहा है वह झूठा है।

धारा 200 भा0दं0सं0 किसी मिथ्या तथ्य की घोषणा को सच्चे रूप में प्रयोग में लाने के लिये दंड की व्यवस्था देता है। जिसके अनुसार जो कोई किसी घोषणा को यह जानते हुये कि वह किसी तात्विक बात के संबंध में मिथ्या है। भ्रष्टतापूर्वक सच्ची के रूप में उपयोग में लायेगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा वह उसी प्रकार दण्डित होगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। इस अपराध के लिये आवश्यक तथ्य निम्न हैः-

1. अभियुक्त की ओर से झूठी घोषणा प्रयुक्त की गई।

2. वह घोषणा तात्विक विषय के संबंध में शून्य थी।

3. अभियुक्त ने इस प्रकार की घोषणा का प्रयोग किया या प्रयास किया।

4. वह घोषणा भ्रष्टता पूर्वक की गई।

5. जिस समय अभियुक्त ने दस्तावेज का प्रयोग किया वह जानता था कि वह झूठा है।

6. इस प्रकार की घोषणा साक्ष्य में ग्राह्य थी।

धारा 200 भा0दं0सं0 में जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई घोषणा अपरूपता (इनफार्मेलिटी) के आधार पर अग्राह्य है वह भी धारा 199 और 200 भा0दं0सं0 के अर्थ के अंतर्गत घोषणा मानी जायेगी।

(signature)

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह तर्क दिया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश में जो यह आधार लिया है कि समाचार-पत्र की साक्ष्यिक मान्यता नहीं है वह त्रुटि पूर्ण है । समाचार-पत्र की सूचना को इलेक्ट्रानिक मीडिया की बेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है । नवीन संशोधित धारा 65-ए0, 65-बी0 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रानिक मीडिया के रिकार्ड को साक्ष्य में ग्राह्य माना गया है । धारा 81 भारतीय साक्ष्य अधिनियम गजट, समाचार-पत्र आदि के सही होने के संबंध में उपधारणा से संबंधित है । इसके अतिरिक्त भी विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि न्यायालय द्वारा जारी किये जाने वाले नोटिसेस आदि भी समाचार-पत्र में छपते हैं और उनके आधार पर भी न्यायालय उनकी तामील की पर्याप्ता के बारे में उपधारणा करती है । इन तर्कों के आधार पर यह कहा गया है कि समाचार-पत्र की सूचना को साक्ष्य में ग्राह्य न माने जाने का कारण है वह आधारहीन है ।

विपक्षी द्वारा जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अंतर्गत चारी जी को संस्था का सर्वमान्य अध्यक्ष माने जाने की घोषणा की गई है वह भी बिल्कुल असत्य थी क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने पक्षकारों के मध्य लम्बित विवाद को इस तिथि तक कोई निर्णय नहीं किया बल्कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी सिविल अपील सं0 6619/2000 श्री रामचन्द्र मिशन बनाम पी0 राजगोपालाचारी एवं अन्य में निर्णय दि0 29.4.08 को दिया है और जिसमें पी0राजगोपालाचारी को उत्तराधिकार की डायरेक्ट लाइन में नहीं माना गया । इस प्रकार जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख घोषणा में किया गया है वह भी असत्य था । इसके अतिरिक्त यदि धारा 200 भा0 द0सं0 में दिये गये स्पष्टीकरण को भी देखा जाये तो ऐसी घोषणा जो अपनी अपरूपता के कारण साक्ष्य में अग्राह्य भी है उस अग्राह्य घोषणा को भी धारा 200 भा0द0सं0 के अंतर्गत अपराध के लिये घोषणा माना जाना कहा गया है । अतः यदि कोई घोषणा साक्ष्य के strict नियम के अनुसार ग्राह्य नहीं भी है तब भी ऐसी घोषणा को धारा 200 भा0द0सं0 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना गया है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित अपील सं0 6619/2000 जिसका कि निर्णय दि0 29.4.08 को हुआ है उसमें पक्षकारों के मध्य सिविल वाद को दि0 10.7.97 को वापस लेने का परिणाम भी पेज 10 पर दर्शाया गया है जिसके अनुसार दीवानी वाद को वापस लिये जाने की

5/3/09

अनुमति के साथ ही सम्पूर्ण प्रक्रिया यहाँ तक कि यदि उसमें कोई निर्णय विचारण न्यायालय ने पारित किया है, वह समस्त कार्यवाही निष्प्रभावी (वाइड्स आउट) हो जाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय की दीवानी अपील के निर्णय के अनुसार भी निर्णय की तिथि को दृष्टिगत रखते हुये श्री पी0 राजगोपालाचारी के पक्ष में ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ था जैसा कि प्रश्नगत आदेश के परिवाद में परिवादी अमरेश कुमार द्वारा दर्शाया गया है। इस प्रकार परिवादी ने गलत घोषणा जारी की और जिसे कि समाचार-पत्र में भी छपवाया, जिससे संस्था के अनुयायियों को गलत तथ्य पर विश्वास कराया जाने का प्रयास किया गया।

इस प्रकार उक्त आधारों पर, विद्वान अवर न्यायालय का जो परिवाद को निरस्त करने का आधार लिया गया है वह विधिक नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय के प्रश्नगत आदेश में दिये गये तर्क विधि के विपरीत हैं। साक्ष्य का जो मूल्यांकन किया गया है वह विधिक प्रक्रिया के विपरीत है अतः प्रश्नगत ~~निर्ण~~ आदेश अपास्त होने योग्य है एवं पुनरीक्षण स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

दाण्डिक पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है। परिवाद सं0220/08 राम चन्द्र मिशन, शाहजहाँपुर द्वारा अमरेश बनाम उमा शंकर बाजपेई में पारित प्रश्नगत आदेश दि025.8.08 को अपास्त किया जाता है एवं विद्वान अवर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारों को पुनः सुनकर विधि के अनुसार आदेश पारित करें।

आदेश की प्रति व तलविदा पत्रावली विद्वान अवर न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जावे। पक्षकार विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष दि022.5.09 को उपस्थित हों।

(हस्ताक्षर)
(वी0 कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं05,
शाहजहाँपुर।

दि05.5.09

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
(वी0 कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं05,
शाहजहाँपुर।

दि05.5.09

Checked by (signature)